



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



27 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 280 राँची, शुक्रवार,

17 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 अप्रैल, 2024

संख्या-5/आरोप-1-357/2024 का.-25257 (HRMS)--श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची के विरुद्ध उप विकास आयुक्त, राँची के पत्रांक-210, दिनांक 06.08.2004 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- तमाड़ प्रखण्ड अंतर्गत बिरगाँव बड़ा तालाब का निर्माण, योजना संख्या-03/2002-03 यह योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना धारा-1 अंतर्गत स्वीकृत है। इसकी प्राक्कलित राशि 6,62,000/- रुपये के विरुद्ध 5,94,950/- रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। इस योजना का अभिलेख दिनांक 25.11.2002 को खोला गया है, किन्तु निरीक्षण तिथि दिनांक 30.09.2003 तक योजना कार्य अपूर्ण पाया गया जबकि 28.02.2003 तक ही योजना का कार्य पूर्ण करना था।

सभी कच्ची योजनाओं का कार्य 15 जून के बाद बंद करने एवं किए गए कार्य की मापी अंकित करने का निर्देश दिनांक 04.06.2003 को आहूत जिला समन्वय समिति की बैठक में दिया गया था, किन्तु इस योजना में 15 जून के बाद 16.06.2003 से 28.06.2003 तक 12 दिनों में 3,99,950/-

रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त माह अगस्त में भी इस योजना में 70,000/- रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। योजना कार्य अग्रिम एवं प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया। इस योजना के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में आपके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग/गबन हुआ।

आरोप सं0-2- महावीर मंदिर तमाड़ से जाहेर टिकर भाया पतरा तक 6.00 कि०मी० ग्रेड-1 पथ, योजना संख्या 4/2002-3। यह योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, धारा-1 अंतर्गत स्वीकृत है। इस योजना की प्राक्कलित राशि 20,27,700/- रुपये के विरुद्ध 18,93,968 रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। इस योजना में कनीय अभियंता द्वारा कार्य का मूल्यांकन 18,77,140 रुपये का किया गया है। योजना अभिलेख दिनांक 25.11.2002 को खोला गया एवं निर्गत कार्यादेश के अनुसार योजना कार्य दिनांक 28.02.2003 तक पूर्ण करना था किन्तु निरीक्षण तिथि दिनांक 20.09.2003 तक योजना कार्य अपूर्ण पाया गया।

इस योजना में फ्लैंक का कार्य नहीं किया गया है। पथ के संपीड़न में रोलर का उपयोग नहीं किया गया है। पथ उबड़-खाबड़ बने हुए है। पथ में मोरम नाम मात्र के डाले गए हैं। अवशेष कार्य को शेष राशि से पूर्ण कराना संभव नहीं है। योजना के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में आपके द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ।

आरोप सं0-3- एन0एच0 33 से चायगुडि डयाजेठाडीह भाया लोहड़ी टिम्पुर तक 6.75 कि०मी० ग्रेड-1 पथ निर्माण, योजना संख्या-5/2002-03। यह योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, धारा-1 अंतर्गत स्वीकृत है। इसकी प्राक्कलित राशि 20,68,300/- रुपये के विरुद्ध 18,74,590.00 रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। कनीय अभियंता द्वारा मापी के अनुसार कार्य का मूल्यांकन 18,24,590.00 रुपये का किया गया है। योजना अभिलेख दिनांक 15.11.2002 को खोला गया है। निर्गत कार्यादेश के अनुसार योजना कार्य 30.04.2003 तक पूर्ण करना था किन्तु निरीक्षण तिथि दिनांक 30.09.2003 तक योजना कार्य अपूर्ण पाया गया।

स्थल जांच में योजना की गुणवत्ता अत्यंत खराब पाई गई। पथ में कहीं भी फ्लैंक का कार्य नहीं किया गया है। पथ में मोरम नाम मात्र के डाले गए हैं। निर्माणाधीन पथ पर घास उगे हुए थे। पथ उबड़-खाबड़ दिख रहा था। निरीक्षण के दौरान काटे गए मिट्टी का खनता दिखलाई नहीं पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी का कार्य भी प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराया गया है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6400, दिनांक 29.09.2009 द्वारा श्रीमती प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 14.10.2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-397, दिनांक 25.01.2010 द्वारा उप विकास आयुक्त, राँची से उपायुक्त, राँची की अनुशंसा सहित मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-85/गो०, दिनांक 05.05.2010 द्वारा निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के पत्रांक-72/गो०, दिनांक 12.04.2010 द्वारा गठित मंतव्य की प्रति उपलब्ध करायी गयी तथा पुनः उपायुक्त, राँची के ज्ञापांक-292/गो०, दिनांक 01.11.2021 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

3. श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य/प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी पदाधिकारी द्वारा दो योजनाओं में अलग-अलग मो०-70,000/- रू० मात्र का भुगतान किया गया है एवं तृतीय योजना में 3,38,112/- का भुगतान किया गया है। सभी योजनाओं में 15 जून के पश्चात भी दर्ज मापी से अधिक (15,060 से 1,00,000 अधिक की राशि) की भुगतान की गयी है। जबकि वर्षा मौसम के मददेनजर 15 जून से ही ऐसे योजनाओं में कार्य बन्द कर देना था ।

(ii) पूर्व में भुगतान की गई अग्रिम राशि योजना सं०-3/2002-03 में 5,24,550/- रुपये, योजना सं०-4/2002-03 में 18,22,900/- रुपये एवं योजना सं०-05/2002-03 में 15,86,478/- रुपये का समांजन नहीं किया गया है। परन्तु इसके पश्चात् भी पूर्व के अग्रिम राशि को समांजन किये बिना आरोपी पदाधिकारी द्वारा अग्रिम के रूप में राशि की भुगतान की गई है। इतनी बड़ी राशि अग्रिम दिये जाने के पश्चात भी इसका अभिश्रव प्राप्त नहीं होना एवं समांजन न होने के कारण प्रश्नगत योजनाओं में प्रतिवेदित खराब गुणवत्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

4. समीक्षोपरांत, श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6608, दिनांक 28.11.2023 द्वारा श्रीमती प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती प्रसाद के पत्र, दिनांक 11.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) श्रीमती प्रसाद द्वारा प्रतिवेदित है कि गठित आरोपों पर उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी, जिस पर उपायुक्त, राँची के पत्रांक-85, दिनांक 05.05.2010 द्वारा मामले की समीक्षा निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के द्वारा कराये जाने के पश्चात् उनकी समीक्षात्मक टिप्पणी से सहमत हूँ, प्रतिवेदित किया गया है। उक्त पत्र द्वारा उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-1 के संबंध में अंकित है कि आरोप की पुष्टि नहीं होती है तथा आरोप सं०-2 एवं 3 के संबंध में उनके स्पष्टीकरण, जिसमें योजना का कार्य इनके प्रभार ग्रहण के पूर्व किया गया है, को स्वीकार्य योग्य/ मान्य प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

(ii) श्रीमती प्रसाद द्वारा प्रतिवेदित है कि उनके द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़ का प्रभार दिनांक 11.07.2003 को किया गया था। योजना की प्राक्कलित राशि के विरुद्ध अधिकांश राशि का भुगतान उनके प्रभार ग्रहण के पूर्व ही तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़ द्वारा किया गया था। उनके द्वारा निरीक्षण की तिथि तक मात्र मजदूरी भुगतान एवं सामग्री हेतु मात्र 3,38,112/- रुपये भुगतान किया गया है ।

तत्कालीन उपायुक्त, राँची द्वारा गठित आरोपों पर उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को बाद के उपायुक्त, राँची के स्तर से भी स्वीकार करते हुए लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा में आए तथ्य निराधार, Biased एवं Second thought quotes प्रतीत होता है ।

5. श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में किसी प्रकार का नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KUMKUM PRASAD BHR/BAS/3410	श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
